

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जैसलमेर

कार्यालय आदेश

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/मा/संस्था/एफ-1/12102/शा.शि.ग्रेड-III/सी.भ./वो-1/2017-18 दिनांक 16.12.19 के अनुसरण में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद पर भर्ती 2018 हेतु राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल-10 में प्रोबेशनरी ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700/-रु प्रतिमाह/विद्यमान वेतनमान पर नियुक्ति की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 12(6) एफडी नियम /5 दिनांक 13-3-2006 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन पर नियत मानदेय के रूप में देय होगा। प्रोबेशनरी ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधानी निधि आदि की कटौती नहीं होगी तथा उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।

वित्तविभाग के आदेश क्रमांक एफ-12(9) एफडी (रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।
संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करें -

- 1 नियुक्ति पर कार्यग्रहण से पूर्व संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होने पर ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे। इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्य ग्रहण नहीं करवाया जावेगा। पूर्व से राजकीय सेवामें सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
- 2 सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्य ग्रहण नहीं करवाया जावेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
- 3 चयनित आशार्थियों के पदस्थापन के द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता, आयु जाति आरक्षण सम्बन्धी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवायेगे।
- 4 नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 7 (1) डीओपी/ए-III/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/-रु.के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
- 5 विवाहित अभ्यार्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र अथवा विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/- रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
- 6 आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्रारूप प्राप्त किया जावे।
- 7 आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से नियुक्ति दिये जाने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे, मिलान में यदि कोई भिन्नता की स्थिति पाई जावे तो उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायें।

लगातार पेज .2.....

पेज-2

8. संबंधित आशार्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इस आशय का 50रु.का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूट रचित पाये जाने पर इनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं इनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
9. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेल कूद प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित नहीं है, तो उनके मूल खेलकूद प्रमाण पत्र पर संबंधित संस्था प्रधान के हस्ताक्षरित/प्रमाणीकरण की पुष्टि करने एवं उनकी सत्यापित प्रति अभिलेख में रखने के उपरान्त ही उन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।
10. यह नियुक्तियां चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III भर्ती परीक्षा 2018 के प्रमाण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेंगी।
11. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करे, जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा है।
12. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक- प.7 (3) कार्मिक /क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचन बद्धता (UNDERTAKING) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
13. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए महिला आवेदको के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु महिला अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दें। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को कार्यग्रहण करावें।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापन स्थान पर दिनांक 30.12.2019 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। आशार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस/सूचना के इनकी सेवाएँ समाप्त की जायेंगी। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न-सूची पृष्ठ संख्या 1.

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय) माध्यमिक जैसलमेर

क्रमांक:-जिशिअ/मु-मा/जैसल /संस्था-1/नियु.शा.शि./2019/1636-43 दिनांक:-18/12/19
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -


1. श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
2. श्रीमान संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर।
3. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (सीडीईओ) जिला जैसलमेर
4. श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक जैसलमेर
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) जैसलमेर /सम/पोकरण
5. संबंधित संस्था प्रधान
6. संबंधित आशार्थी
7. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय) माध्यमिक जैसलमेर

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा विभाग जैसलमेर

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III भर्ती परीक्षा-2018 के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा गैर-अनुसूचित क्षेत्र हेतु अन्तिम रूप से चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग दिनांक 19.12.2019 में सहमति के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालयों में पदस्थापन

SNO	Merit No.	ROLLNO	NAME	FNAME	DOB	GENDER	CAT	SEL_CAT	Address	Block	Gram Panchayat	Name of School	Candidate Photo
1	2281	513535	NARESH BABU MEENA	KHYALI RAM MEENA	01-Sep-96	Male	ST	ST	VILLAGE BASANA POST BASANA THE JAMWA RAMGARH JAIPUR PIN CODE 302028 DISTT JAIPUR	SAM	RAMA	GOVT.SENIOR SEC. SCOOL RAMA	

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक जैसलमेर